

प्रेषक,

सूर्य मोहन नौटियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक 28 जून, 2019

विषय- राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों को किट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों, जोकि विभिन्न आयुवर्ग, जैसे कि सब जूनियर, जूनियर सीनियर वर्ग को किट दिये जाने हेतु निम्नलिखित नीति विषयक निर्णय लिये गये हैं :-

1. किट का आशय यह है कि जब प्रदेश की टीम किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये जाये तो मार्च पास्ट के समय उनकी अपनी अलग पहचान हो। ऐसा प्रयास किया गया है कि खेल विशेष की किट (खेल विशेष से संबंधित) के सामान्य तौर पर वह वस्तुयें सम्मिलित हो जो सामान्यतः एक खिलाड़ी के लिये आवश्यक होती है।

2. प्रत्येक किट की मदवार वस्तुओं का अधिकतम मूल्य निर्धारण निम्नवत् होगा :-

(अ) ट्रैक सूट-	₹1100.00
(ब) जूता-	₹1100.00
(स) मोजा-	₹150.00
(द) खेल विशेष किट-	₹650.00

कुल योग- ₹3000.00

3. उक्त किट की सुविधा प्रत्येक खेल वर्ग में खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी और यह संख्या खेल फेडरेशन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेश राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु जारी गार्ड लाईन्स में उल्लिखित संख्या के आधार पर प्रदान की जायेगी।

4. किट चार साइजों में स्माल, मीडियम, लार्ज तथा इक्स्ट्रा लार्ज साइजों में दिया जायेगा।

5. किट के क्रय हेतु विधिवत गर्वन्मेन्ट-ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग कर किट की सामग्रियों का क्रय किया जाय अथवा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार यथावश्यक कार्यवाही की जाय।
6. उक्त किट की सुविधा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों पर लागू होगी। यह सुविधा उन सभी क्रीड़ा संघों को उपलब्ध करायी जायेगी, जो मान्यता प्राप्त हों तथा उत्तराखण्ड राज्य की खेल नीति में सम्मिलित हो के साथ-साथ उत्तराखण्ड राज्य में लागू स्पोर्ट्स कोड का पूर्णतः अनुपालन कर रहे हों।
7. यह भी निर्णय लिया गया है कि ट्रैक सूट का कलर महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों के लिये एक ही जैसा हो एवं ट्रैक सूट के पीछे उत्तराखण्ड तथा सामने दायी ओर प्रदेश सरकार अथवा खेल विभाग का मोनोग्राम अंकित हो, को निदेशालय द्वारा शासन के अनुमोदनोंपरान्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों को ट्रैक सूट वितरित किया जायेगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
8. उक्त मद में होना वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-11 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवार्य-104 खेलकूद-11 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा तथा अतिरिक्त व्ययभार को समस्त अनुदान में बचत करके ही वहन किया जायेगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-232(म0)/XXVII(3)/2018-19, दिनांक 10 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सूर्य मोहन नौटियाल)
अपर सचिव।

संख्या- 380/VI/2019-21(5)/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
5. सचिव, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
10. सहायक निदेशक, खेल, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
11. समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव।